UPVR010056002026

न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं0-4, वाराणसी

उपस्थितः सर्वजीत कुमार सिंह (उच्च न्या0 से0)

जे.ओ. कोड-यू0पी0-6354

चतुर्थ अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-1846/2026

विकाश मिश्रा पुत्र संतोष मिश्रा निवासी ग्राम गोपपुर सरैया नं. 1 थाना चोलापुर वाराणसी।

.....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

सरकार उत्तर प्रदेश .....अभियोजन पक्ष।

मुकदमा अपराध संख्या-433/2023
अंतर्गत धारा-409,419,420,506 आई.पी.सी.
थाना-चोलापुर, जिला-वाराणसी।

दिनांक-29.06.2026

1- आवेदक/अभियुक्त विकाश मिश्रा की ओर से मु0अ0सं0- 433/2023 धारा-409,419,420,506 आई.पी.सी. थाना चोलापुर, जिला वाराणसी के अन्तर्गत चतुर्थ अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2- अभियुक्त के अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में **संतोष मिश्रा** का शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए जमानत प्रार्थनापत्र में कहे गये कथनों को तसदीक किया गया है।

3- संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि "प्रार्थिनी कुन्नी देवी पत्नी स्व० गुलाबनाथ मिश्र निवासिनी ग्राम गोपपुर, पोस्ट सरैया न० थाना चोलापुर, वाराणसी की है, प्रार्थिनी के पति स्व० गुलाब मिश्र पूर्व में स्वास्थ्य विभाग में नौकरी करते थे। प्रार्थिनी के पति की मृत्यु दिनांक 27.07.2011 को हो गयी, उस समय प्रार्थिनी के पति रिटायर हो चुके थे। प्रार्थिनी के दो पुत्र क्रमशः प्रकाश मिश्रा उर्फ प्रिंस व पवन मिश्रा है। प्रार्थिनी के पति के मृत्यु के बाद वरासतन प्रार्थिनी के पति की प्रापर्टी पर प्रार्थिनी के साथ प्रार्थिनी के दोनो पुत्रों का नाम खतौनी में दर्ज हो गया। प्रार्थिनी के घर के पास ही रहने वाले विकाश मिश्रा पुत्र संतोष कुमार मिश्रा निवासी ग्राम गोपपुर, पोस्ट सरैया, थाना चोलापुर, वाराणसी जो अपने आपको अधिवक्ता बताते है और वाराणसी कचहरी में वकालत करते है, प्रार्थिनी के घर अक्सर आना जाना लगा रहता है। इसी का फायदा उठाकर उपरोक्त वकील साहब द्वारा पूर्व में प्रार्थिनी से एक फर्जी बैंक के नाम पर मुबलिग 4,00,000/- रुपया ले लिया और प्रार्थिनी को बताया कि उपरोक्त पैसा तीन साल बाद आपको मुबलिग 5,32,000/- रुपया मिलेगा और उसका सर्टिफिकेट भी प्रार्थिनी को दिया और समयावधि बीत जाने के बाद भी वकील साहब द्वारा प्रार्थिनी का पैसा जो बैंक मे लगाया था वो भी वापस नहीं किया जा रहा है बल्कि हर बार टाल दिया जाता है कि बाद में आपको देंगे। घटना दिनांक 08.02.2023 की है, प्रार्थिनी के बड़े पुत्र प्रकाश मिश्रा उर्फ प्रिंस को विकाश मिश्रा वकील साहब बहलाकर अपने साथ दीवानी कचहरी, वाराणसी ले आये जबकि प्रार्थिनी का बड़ा पुत्र प्रकाश मिश्रा उर्फ प्रिन्स मानसिक बीमारी से ग्रसित है और उसका इलाज बी०एच०यू० वाराणसी में चल रहा है उसको लेकर

Digitally signed by SARVJEET KUMAR SINGH
Date: 2026.06.29 12:41:02 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

प्रकाश मिश्रा उर्फ प्रिंस के हिस्से की जमीन क्रमशः ग्राम भोहर आराजी नं0 778 में रकबा 2271.2 वर्गफीट व ग्राम गोपपुर आराजी न० 12 में रकबा 5344.8 वर्गफीट फुसलाकर बिना प्रतिफल दिये अपने वकालत का प्रभाव जमाकर व वकीलों को गवाह बनाकर सट्टा करा लिया। घटना की जानकारी प्रार्थिनी को छोटे पुत्र पवन मिश्रा द्वारा प्राप्त हुयी जब प्रार्थिनी का छोटा पुत्र दीवानी कचहरी वाराणसी में अपने अधिवक्ता के पास अपने दीवानी के मुकदमें के सिलसिले में आया तो जानकारी हुयी तब से प्रार्थिनी द्वारा कई बार विकाश मिश्रा को उपरोक्त सट्टे के बाबत जानकारी दी गयी और उपरोक्त सट्टा को कैन्सिल कराने की बात भी की गयी तो विकाश मिश्रा द्वारा प्रार्थिनी को भरोसा दिया गया कि आपका सट्टा कैन्सिल कर दिया जायेगा परन्तु आज तक विकाश मिश्रा को फोन करने पर उलटे ही प्रार्थिनी व उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उपरोक्त विकाश मिश्रा द्वारा प्रार्थिनी से यह भी कहा गया कि हम लोगों ने तुम्हारे पुत्र से जबरजस्ती फर्जी तरीके से सट्टा करा लिया है और हम लोग वकील है तुम हमारा कुछ भी बिगाड़ नही पाओंगे, जो करना है कर लो तुम्हारा सट्टा कैन्सिल नही किया जायेगा। विकाश मिश्रा एक फर्जी व जालसाज किस्म का व्यक्ति है, कुछ वर्ष पूर्व थाना कैण्ट वाराणसी की पुलिस द्वारा फर्जी मार्कशीट बनवाने के सन्दर्भ में भी जेल जा चुका है। उपरोक्त आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया।

4- आवेदक/अभियुक्त की ओर से चतुर्थ अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र में यह आधार लिया गया है कि उपरोक्त वाद में यह चतुर्थ अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है इसके पूर्व उपरोक्त अभियोग में अभियुक्त प्रार्थी द्वारा प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 5026/2023 अंतर्गत धारा 406,506,419 व 420 भा.द.स. दाखिल किया गया था। उक्त जमानत प्रार्थना पत्र विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार अधिनियम वाराणसी के न्यायालय में विचाराधीन था, कि इसी दौरान विवेचक द्वारा 409 भा.द.स. की उपरोक्त अभियोग में बढ़ोतरी की गई इसके बाद अभियुक्त प्रार्थी द्वारा द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 768/2024 अंतर्गत धारा 409 भा.द.स. दाखिल किया गया था। उक्त दोनों अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र बल न दिए जाने के कारण माननीय विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार अधिनियम वाराणसी द्वारा दिनांक 25.04.2024 को निरस्त कर दिया गया। तदोपरांत अभियुक्त प्रार्थी द्वारा तृतीय अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 2046/2024 अंतर्गत धारा 409,506,419 व 420 भा.द.स. दाखिल किया गया जो माननीय विशेष न्यायाधीश ष्टाचार अधिनियम वाराणसी द्वारा 31.05.2024 को निरस्त कर दिया गया। अभियुक्त/प्रार्थी की ओर से माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में उपरोक्त अभियोग में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 6767/2024 दाखिल किया गया था जो दिनांक 19.07.2024 को विड्रा किये जाने के कारण माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा डिसमिस कर दी गई थी। उपरोक्त वर्णित सभी अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र दौरान विवेचना दाखिल किए गए थे, आरोप पत्र दाखिल होने के बाद यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है। अभियुक्त/प्रार्थी द्वारा CRIMINAL MISC WRIT PETITION No- 13699 of 2024 दाखिल किया गया था, जिस पर सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 26.09.2024 को उपरोक्त मुकदमा मेडिएशन हेतु भेज दिया गया एवं अभियुक्त प्रार्थी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई थी। उपरोक्त अभियोग में विवेचक ने 13.01.2025 को चार्जशीट किता कर दिया था। जिसके बाद माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त रिट पेटिशन यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि "In view of the above since the investigation in the instant case has already been concluded and a chargesheet has been submitted upon which cognizance has been taken against the petitioner which too has been challenged before this Court by means of aforesaid application under Section 528 BNSS] which is still pending

consideration before this Court the instant writ petition has become infructuous and it is accordingly dismissed as infructuous अवर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल होने के पश्चात अभियुक्त प्रार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में फौजदारी प्रकरण प्रार्थना पत्र संख्या 18050/2025 अंतर्गत धारा 528 BNSS दाखिल किया गया था जिस पर सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 16.09.2025 को उपरोक्त मुकदमे में अभियुक्त प्रार्थी के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कोई उत्पीड़ात्मक कार्यवाही करने पर मन्हाई कर दी थी। दिनांक 30.03.2026 को उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर इंटेरिम प्रोटेक्शन को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा बढ़ाया नहीं गया जिसके कारण अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त प्रार्थी के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है एवं उक्त वारंट जारी होने के होने से अभियुक्त प्रार्थी की गिरफ्तारी होने की पूर्ण संभावना है। जबकि उपरोक्त प्रार्थना पत्र अभी भी माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में लंबित है। अभियुक्त/प्रार्थी बिल्कुल निर्दोष है, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है उसे साजिशन झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त प्रार्थी अभियोजन के सम्पूर्ण कथानक से इनकार करता है। उपरोक्त मुकदमे की प्राथमिकी 419, 420, 406 व 506 I.P.C. में दर्ज हुई थी, दौरान विवेचना 406 तरमीम होकर धारा 409 हो गई एवं आरोप पत्र भी अंतर्गत धारा 419, 420, 409, 506 भा.द.स. अवर न्यायालय में दाखिल हुआ है। अभियुक्त/प्रार्थी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी से वर्ष 2019 में L.L.B. की परीक्षा उत्तीर्ण किया है एवं अभियुक्त प्रार्थी ने बार काउंसिल में अपना कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। प्रार्थी सूक्तम म्यूचुअल बेनिफिट निधि लिमिटेड का निदेशक है। उक्त निधि कंपनी लोगों को अपना सदस्य बनाती है, और उन्हीं सदस्यों से नियमित जमा, आवर्ती जमा और सावधि जमा के रूप में पैसा जमा लेती है और उन्हीं सदस्यों के बीच ऋण के रूप में पैसा देती है। द्वितीय लॉकडाउन के समय कंपनी को वित्तीय घाटा हुआ था, जिसके कारण कंपनी ने अपने सदस्यों से पैसा जमा लेना बंद कर दिया तथा सभी सदस्यों को उनके निवेश की गई धनराशि ब्याज सहित निदेशक द्वारा वापस किया गया है, उक्त कंपनी में वादिनी मुकदमा द्वारा 400000/- (चार लाख) रुपए 29.06.2020 में 3 वर्ष के लिए सावधि जमा (फिक्स डिपॉजिट) के रूप में निवेश किया गया था, समयावधि पूर्ण होने के उपरांत वादिनी मुकदमा कभी भी कंपनी द्वारा प्रदत्त जमा सर्टिफिकेट (बान्ड) के साथ अपना बैंक अकाउंट विवरण अभियुक्त प्रार्थी को नहीं दी, बल्कि वादिनी मुकदमा द्वारा अभियुक्त प्रार्थी से बार-बार नगद धनराशि की मांग की गई। अभियुक्त प्रार्थी द्वारा वादिनी मुकदमा को समझाया गया कि बिना मूल बान्ड (जमा सर्टिफिकेट) के पैसा वापस नहीं होगा और नगद पैसा देना अभियुक्त प्रार्थी के लिए संभव नहीं है, क्योंकि भारत सरकार द्वारा नगद सिर्फ 20000/- (बीस हजार) रुपए तक ही देने की अनुमति दी गई है। अभियुक्त प्रार्थी द्वारा बार-बार वादिनी मुकदमा से कंपनी का मूल बान्ड व बैंक विवरण की कापी मांगने पर न दिए जाने के कारण अभियुक्त प्रार्थी द्वारा दिनांक 07.10.2023 को अपने मोबाइल नंबर 8318378788 से वादिनी के मोबाइल नंबर 9044265195 व 8795687272 पर मैसेज करते हुए उनसे मूल बान्ड व बैंक विवरण की कापी मांगी गई, बावजूद इसके वादिनी मुकदमा द्वारा अभियुक्त प्रार्थी को उक्त दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया, पूर्व में अभियुक्त प्रार्थी द्वारा कई बार वादिनी मुकदमा से उक्त दस्तावेज SMS के जरिए मांगे गए थे फिर भी अभियुक्त प्रार्थी को उक्त दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए थे। अभियुक्त प्रार्थी द्वारा जरिए स्पीड पोस्ट रसीद संख्या RU665271879IN दिनांक 11.10.2023 को एक पत्र भी लिखकर वादिनी मुकदमा से ओरिजिनल बान्ड व बैंक विवरण की मांग की गई थी, उक्त पत्र वादिनी मुकदमा को 12.10.2023 को प्राप्त होने के उपरांत भी अभियुक्त प्रार्थी को आज तक ओरिजिनल बान्ड व बैंक विवरण नहीं दिया गया। इस कारण अभियुक्त प्रार्थी पैसा नहीं दे

सका। प्रार्थी ने मिडिएशन के दौरान मुकदमा वादिनी को देने के लिए 5,32000/- (पांच लाख बत्तीस हजार) रुपए का डिमांड ड्राफ्ट संख्या-231560 दूसरे से कर्ज लेकर दिनांक-01.01.2025 को कुन्नी देवी के नाम से 1883/- (अट्ठारह सौ तिरासी) रुपए बैंक सर्विस चार्ज देकर बनवाया, फिर भी वादिनी द्वारा मिडिएशन फेल करके अभियुक्त प्रार्थी को जेल भेजने की नियत से पैसा नहीं लिया गया। क्योंकि वादिनी मुकदमा, अभियुक्त प्रार्थी को मुकदमे का भय दिखाकर 2500000/- (पच्चीस लाख) रुपए की डिमांड कर रही थी। प्रार्थी FIR के पहले और आज भी माननीय न्यायालय के समक्ष वादिनी मुकदमा द्वारा निवेश की गई संपूर्ण धनराशि देने को तैयार है। अभियुक्त प्रार्थी द्वारा कभी भी वादिनी मुकदमा की कोई भी धनराशि हड़पी नहीं गई। अभियुक्त प्रार्थी द्वारा वादिनी मुकदमा के पुत्र से जो जमीन सट्टा करायी गई वो प्रतिफल दिए जाने के बाद ही सट्टा कराई गई है, और सट्टे के बाद भी समय-समय नगद और प्रिंस मिश्रा उर्फ प्रकाश के निजी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खाता संख्या-35901111142 IFSC Code& SBIN0011862 में अभियुक्त प्रार्थी अपने निजी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खाता संख्या-11103571502 से दिनांक- 20.02.2023 को 2900/-(उन्तीस सौ) रुपए UTR No-305105512531, और 100/- (एक सौ) रुपए UTR No-305115644644, दिनांक- 21.02.2023 को 2000/- (दो हजार) रुपए UTR No-& 305248785618, दिनांक- 11.03.2023 को 2000/- (दो हजार) रुपए UTR No--307024685615, दिनांक- 23.06.2023 को 1000/- (एक हजार) रुपए UTR No-317459970963 और दिनांक- 21.07.2023 को 2000/- (दो हजार) रुपए UTR No-320217192896 ट्रांसफर किया गया। वादिनी का पुत्र प्रकाश उर्फ प्रिंस मिश्रा पागल नहीं है, बल्कि स्वस्थ मस्तिष्क का है और उसके द्वारा अपर नगर मजिस्ट्रेट तृतीय, वाराणसी न्यायालय में वाद संख्या 291/14 में दिनांक 28.07.2018 को अपने हस्ताक्षर से अधिवक्ता नियुक्त कर मुकदमा लड़ा गया है, एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वाराणसी में दिनांक 25.03.2021 को मु०अ०सं०- 247/2020 अपने हस्ताक्षर से अधिवक्ता नियुक्त कर मुकदमा लड़ा जा रहा है। वादिनी का पुत्र मानसिक रूप से अस्वस्थ होता तो वह स्वयं अधिवक्ता नियुक्त कर मुकदमा नहीं लड़ता, बल्कि उसके अभिभावक कोई अधिवक्ता नियुक्त करते तब मुकदमा लड़ा जाता। वादिनी का पुत्र प्रिंस मिश्रा केंद्र सरकार से किसान सम्मान निधि दिनांक 13.03.2026 तक कुल 22 किस्त अपने निजी स्टेट बैंक आफ इंडिया खाता संख्या 35901111142 में प्राप्त कर चुका है। उपरोक्त मुकदमे की प्राथमिकी को देखकर यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त मुकदमा में वर्णित सट्टा को निरस्त कराने के उद्देश्य से क्रिमिनल केस दर्ज कराई गई है जबकि मुकदमा उपरोक्त में वर्णित सट्टे के बाबत वादिनी मुकदमा द्वारा दो दीवानी मुकदमे जिनका OSuacj 2420/2023 और 2421/2023 दिनांक 30.08.2023 को दाखिल किया गया है। उपरोक्त मुकदमे में अभियोजक द्वारा वादिनी मुकदमा के पुत्र प्रकाश मिश्रा उर्फ प्रिंस को मानसिक रूप से अस्वस्थ कहा गया है फिर भी अभियोजन साक्षी प्रकाश मिश्रा उर्फ प्रिंस द्वारा दौरान अन्वेषण दिनांक 13.10.2023 एवं दिनांक 13.01.2025 को अपना बयान दर्ज कराया गया है। उक्त दोनों बयान के अवलोकन से स्वतः स्पष्ट होता है कि साक्षी प्रकाश मिश्रा द्वारा प्राथमिकी का अक्षरशः समर्थन अपने बयान में किया गया है। बयान में उसने 15 साल पुराने अपने पिता की मृत्यु की तिथि बताई है, और सट्टे में कितने रुपए का लेनदेन हुआ है, यह भी बताया है साथ ही साथ यह भी बताया है की सट्टे की तिथि क्या थी, व उसकी जमीन किस ग्राम में है, किस आराजी में है, उसका क्या क्षेत्रफल है और उक्त जमीन में उसका कितना हिस्सा है यह भी बताया हैं। CD ua-5 में यह अंकित है कि अभियुक्त प्रार्थी द्वारा रजिस्टर्ड कंपनी सूक्तम म्युचुअल बेनिफिट निधि लिमिटेड में वादिनी मुकदमा का पैसा जमा नहीं कराया गया है बल्कि खुद गबन कर लिया गया एवं अभियुक्त

प्रार्थी द्वारा बैंकर के रूप में कृत्य किया गया है, जो की 409 की भा.द. स. में दंडनीय है जबकि दौरान अन्वेषण विवेचक द्वारा वादिनी मुकदमा के बैंक पासबुक की छाया प्रति भी प्राप्त की गई है, जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 29.06.2020 को वादिनी मुकदमा के बैंक खाते से 400000/-(चार लाख) रुपए सूक्तम म्युचुअल बेनिफिट निधि लिमिटेड के खाते में स्थानांतरित हुआ है। उक्त पासबुक के अवलोकन से यह बात स्वतः स्पष्ट होता है कि विवेचक द्वारा लापरवाही पूर्वक विवेचना की गई है। कागजातों को एकत्र तो किया गया परंतु उनका अवलोकन नहीं किया गया एवं गलत कथानक कहते हुए धारा 409 IPC की बढ़ोत्तरी किया गया। मुकदमा उपरोक्त में विवेचना पूर्ण हो चुकी है दौरान अन्वेषण कभी भी अभियुक्त प्रार्थी की कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। मुकदमे के पूर्व अभियुक्त प्रार्थी के विरुद्ध थाना कैंट वाराणसी में वर्ष 2011 में एक झूठा मुकदमा मु.अ.सं.-350/2011 पंजीकृत हुआ था। अभियुक्त प्रार्थी उस मुकदमे में जमानत पर रिहा है, एवं उक्त मुकदमा अवर न्यायालय में विचाराधीन है। अभियुक्त प्रार्थी पता उपरोक्त का निवासी है, बाद जमानत उसके पलायन की लेश मात्र की संभावना नहीं है अभियुक्त प्रार्थी अपनी जमानत के लिए न्यायालय श्रीमान के संतोषानुसार मुचलका दाखिल करने को तैयार है। मुकदमा उपरोक्त की सभी धाराएं प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने की यांचना की गयी है। आवेदक/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र के साथ आधार कार्ड, अग्रिम जमानत प्रा0 पत्र सं0 5026/2023, अग्रिम जमानत प्रा0 पत्र सं0 768/2024, तृतीय अग्रिम जमानत प्रा0 पत्र सं0 2046/2024, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रा0 पत्र सं0 6767/2024, आपराधिक प्रकीर्ण रिट पेटीशन नं. 13699/2024, प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 528 बी.एन.एस.एस. संख्या 18050/2025 में पारित आदेश की छाया प्रति व अन्य प्रपत्र दाखिल किये गये हैं।

5- राज्य की तरफ से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, (फौजदारी) तथा प्रथम सूचक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए कहा गया है कि अभियुक्त द्वारा वादिनी मुकदमा से एक फर्जी बैंक के नाम पर 4 लाख रुपया ले लिया गया और एक सर्टिफिकेट भी दिया गया किंतु समय बीतने के बावजूद भी उसे पैसा नहीं दिया गया तथा वादिनी के मंदबुद्धि पुत्र से बहला फुसलाकर फर्जी सट्टा करा लिया गया। अभियुक्त का तृतीय जमानत प्रार्थनापत्र गुण-दोष के आधार पर निरस्त किया जा चुका है। अभियुक्त के विरुद्ध विचारण न्यायालय से गैर जमानतीय अधिपत्र जारी किया गया है और स्थापित विधिक सिद्धांत के आधार पर जिन मामलों में गैर जमानतीय अधिपत्र या 82 दं.प्र.सं. का प्रासेस जारी हो, ऐसे मामलों में अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान नहीं किया जाना चाहिए। अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाय।

6- आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व राज्य की तरफ से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, (फौजदारी) तथा प्रथम सूचक के विद्वान अधिवक्ता को चतुर्थ अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर सुना तथा उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

7- उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत तर्को, अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में कथित तथ्यों व अभियोजन प्रपत्रों के सम्यक अवलोकन से विदित होता है कि वादिनी मुकदमा द्वारा आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध से फर्जी बैंक के नाम पर चार लाख रुपया जमा करा लेने तथा समय बीतने के बावजूद भी पैसा नहीं देने तथा प्रार्थिनी के मानसिक विकलांग पुत्र को बहला फुसलाकर उससे फर्जी व कूटरचित सट्टा करा लेने तथा स्वयं को अधिवक्ता कहते हुए जान माल की धमकी देने के आधार पर मुकदमा कायम कराया गया है। विवेचना उपरांत पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर अभियुक्त के विरुद्ध धारा उपरोक्त में आरोप पत्र दाखिल हो चुका है तथा अभियुक्त के विरुद्ध विचारण न्यायालय से गैर जमानतीय अधिपत्र जारी है। केस डायरी

विवेचक द्वारा प्रिंस मिश्रा को 40% विकलांग होने के बावत सी.एम.ओ. द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र को भी किता किया गया है। अभियुक्त द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल रिट पेटीशन 18050/2025 में दिनांक 30.03.2026 को Interim Protection न बढाये जाने के बावत माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की छायाप्रति दाखिल की गयी है और Interim Protection बढाये न जाने का शपथपत्र भी प्रस्तुत है। आवेदक/अभियुक्त का तृतीय अग्रिम जमानत दिनांक 31.05.2024 को गुण दोष के आधार पर खारिज किया जा चुका है। आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम सूचक से फर्जी बैंक में चार लाख रुपया जमा करा लेने तथा प्रथम सूचक के मानसिक रुप से बीमार पुत्र से बहला फुसलाकर जमीन का फर्जी सट्टा करा लिए जाने का गंभीर अभिकथन है। मामला गंभीर प्रकृति का है।

8- अतः मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों तथा अपराध की प्रकृति व गम्भीरता एवं मामले में अभियुक्त की संलिप्तता को दृष्टिगत रखते हुये बिना गुण-दोष पर कोई विचार व्यक्त किये आवेदक/अभियुक्त को द्वारा प्रस्तुत चतुर्थ अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **विकाश मिश्रा** को ओर से उपरोक्त मामले में प्रस्तुत चतुर्थ अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किया जाता है।

दिनांक-29.06.2026

(सर्वजीत कुमार सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश/
कोर्ट नं0-4, वाराणसी।
जे0 ओ 0 कोड-यू0 पी0 6354